दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 25-07-2025

वकील की बिना शर्त माफी, खत्म हुआ अवमानना केस

सिंगल बेंच के फैसले पर टिप्पणी के बाद शुरू की गई थी अवमानना की कार्यवाही

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभू दत्त गुरु की डिवीजन बेंच ने एक अवमानना मामले में वकील की बिना शर्त माफी को स्वीकार करते हुए कार्यवाही समाप्त कर दी है। दरअसल एक मामले में सिंगल बेंच के फैसले के बाद वकील ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्हें पता था कि इस बेंच से न्याय नहीं मिलेगा। इस पर सीजे की बेंच ने संज्ञान लेते हुए वकील को अवमानना का नोटिस जारी किया था। इसके बाद वकील सेमसुन सेमुल मसीह ने जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की सिंगल बेंच के समक्ष उपस्थित होकर बिना शर्त माफी मांगी थी।

सिंगल बेंच में फैमिली कोर्ट से जुड़े एक मामले में फैसले के बाद 3 जुलाई को वकील ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्हें पता था कि इस बेंच से न्याय नहीं मिलेगा। इस टिप्पणी को हाई कोर्ट ने अवमानना माना और वकील को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने को कहा गया था। वकील मसीह 18 जुलाई को सिंगल बेंच के समक्ष उपस्थित हुए और बिना शर्त माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराने का भरोसा दिलाया। इसके बाद सीजे सिन्हा की डिवीजन बेंच में गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान वकील मसीह कोर्ट में मौजूद रहे। हलफनामा देकर घटना के लिए बिना शर्त माफी मांगी। मौखिक रूप से भी पश्चाताप जताया।

क्षमा भावनात्मक बोझ उतारकर आगे बढ़ना है: हाई कोर्ट

जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की सिंगल बेंच ने वकील की माफी स्वीकार करते हुए कहा था कि- क्षमा एक प्रक्रिया है, यह केवल एक क्षणिक कार्य नहीं। क्षमा करना गलती को भुलाना या उसे सही ठहराना नहीं है, बल्कि भावनात्मक बोझ को छोड़कर आत्मबल के साथ आगे बढ़ना है।